

कार्यालय

संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद

वर्कशॉप टेबल कलन

संख्या:- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2022/78/17

संख्या/दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एनबीई) काउन्सिल ऑफ इडिपेट, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिड कर 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरिय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद 2022 संकल्पना से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता हेतु से संघितता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश अंशता वृद्धि सहित अन्य सबी का विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तबिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20-23 संकल्पना द्वारा सत्र 2022-23 हेतु गिनांकित शर्तों के अर्जित पाठ्यक्रम एवं एनबीई अर्जित अंशता अंशता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1299-AMR RAM INSTITUTE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एन.आई.टी.ई.पी./पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश अंशता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश अंशता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एन.आई.टी.ई.पी./पी.सी.आई.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली 2000, विनियम विनियमवली 2016 तथा संस्था/संस्था पर स्थित संकल्पनाओं का अनुपालन करेगी तथा इच्छा निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सैन अर्जित करने/ पाठ्यक्रमी हेतु सत्र 20150 00/- प्रतिवर्ष, दो अर्जित जगहों पर पाठ्यक्रम हेतु सत्र 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र की अर्जित पाठ्यक्रमी को अर्जित तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु सत्र 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क की अर्जित शुल्क/शुल्क से उपाय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शुल्क/शुल्क में शुल्क के अतिरिक्त में अर्जित/अर्जित पर शुल्क द्वारा निर्मित किये जाने वाले सम्बद्धता/सम्बद्धता हेतु और इच्छा/अर्जित/अर्जित किया जाने आवश्यक होगा। एनबीई विनियम समिति द्वारा एनबीई सत्र 2022-23 हेतु एनबीई का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो एनबीई को नवीनकरण देने लागू होगी।
- ✓ संस्था में सहायक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित शर्तों को ही प्रयोग किया जाएगा।
- ✓ संस्था को अर्जित/अर्जित पर निर्मित संकल्पनाओं के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क उपाय करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रवेश वास्तु द्वारा निर्दिष्ट विधियों/अविधियों वास्तु/अविधियों द्वारा निर्दिष्ट प्राकृतिक शिक्षा उपकरण, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरान्त प्राकृतिक शिक्षा परिषद, उपरान्त प्राकृतिक शिक्षा परिषद, विभिन्न अविधियों एवं विधियों का मानन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आईसीटीआई/नेटसी/आईई के अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इन सब में समस्त उपरान्त/पिछ संस्था का होगा और शिक्षक रूप से किसी भी अवधि के लिए संस्था कार्य उत्तरदायी होगी। प्राकृतिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राकृतिक शिक्षा निदेशात्मक एवं प्राकृतिक शिक्षा शिक्षा द्वारा प्रवेश वास्तु के विरुद्ध यदि कोई कार्य दाखल किया जाता है तो दाखल कार्य के संबंध में तो सफलतापूर्वक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अविधियों निर्दिष्ट किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करने होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरान्त प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु अविधियों का/अविधियों प्रारंभ होने के पूर्व ए०आईसीटीआई/नेटसी/आईई के अनुमोदन प्राप्त एवं प्रवेश उत्तरदायी को उपरान्त/उपान्त होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की/अविधियों के मानन से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षा प्रवेश, अनुमोदन प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उपरान्त प्रवेश वास्तु द्वारा प्रवेश हेतु-समस्त/समस्त प्रवेश संबंधित वास्तु/अविधियों का अनुमानन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को समस्त सूचना जैसे संस्था की/विशेषित पूर्व भूमि, साज, साज,साजा, उपकरण, भाषा किया जाने वाला सुक्त, उपकरण सुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपरान्त/उपान्त/उपलब्ध करने के साथ प्रवेश करने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राकृतिक/संश्लेषित उपकरण को प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट अविधियों के समस्त उपलब्ध कराये/एवं अभिलेख, भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य उपकरण के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपकरण का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बन्धित समस्त विधियों करने की बाध्यकारी की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकांश स्थलीय निर्दिष्टों के अन्तर्गत यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साज,साजा ए०आईसीटीआई/नेटसी/आईई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बन्धित समस्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुमानन से किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विधानमूर्त अनुमाननात्मक बाध्यकारी की जायेगी।


(एफ०आर० संज)

सचिव

पुस्तक: प्राविश/परिषद सम्बन्धित/2022/7018-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्राविश/परिषद:
प्राध्यापक/निदेशक, SHRI RAM INSTITUTE OF PHARMACY


(एफ०आर० संज)

सचिव

संकेतः

स्वतंत्र प्राविण्य शिक्षा परिषद

रज्य सेवा कक्षा

संख्या-प्राविण्यपरिषद संख्या2022/7817

राज्य सेवा दिनांक- 30/03/2022

आधीनकार प्रमाण

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा आयोग, नई दिल्ली, आर्य समाज कॉलेज ऑफ़ इजिप्शियन, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2022-23 हेतु केंद्रीय राज्य सेवाय राजकीय शिक्षक संवत् 2023 में आवेदन करने वाले के उपरोक्त प्राविण्य शिक्षा परिषद, राज्या सेवक के संयुक्त सम्पत्ता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 26/03/2022 को जारी अधिसूचना में सम्पत्ता समिति की बैठक सेवा हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधिसूचना संख्याओं को सम्बन्धित नई सेवकों के सम्पत्ता विवरण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित सेवा समता सुखे सहित अन्य सभी पर विचार करती तब सत्र 2022-23 हेतु सम्पत्ता सम्पत्ता विवरण प्रदान करने के लिए निर्णय किया गया।

सम्पत्ता समिति की बैठक में तब सत्र 2022-23 हेतु अधिसूचना संख्याओं को सम्बन्धित नई सेवकों के सम्पत्ता विवरण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित सेवा समता सुखे सहित अन्य सभी पर विचार करती तब सत्र 2022-23 हेतु सम्पत्ता सम्पत्ता विवरण प्रदान करने के लिए निर्णय किया गया।

संख्या का कोड एवं नाम - 1289-SHR RAM INSTITUTE OF PHARMACY		ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमानित सेवा समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमानित सेवा समता
क्र.सं.	प्राविण्य का नाम	40	40
1	DIPLOMA IN PHARMACY		

सम्पत्ता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या-ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें सभी को पूर्णतः लागू रहेंगी।
- ✓ संख्या-ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें सभी को पूर्णतः लागू रहेंगी।
- ✓ संख्या-ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें सभी को पूर्णतः लागू रहेंगी।
- ✓ संख्या-ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें सभी को पूर्णतः लागू रहेंगी।
- ✓ संख्या-ए.आई.सी.टी.आई.टी.सी.आई.टी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें सभी को पूर्णतः लागू रहेंगी।

शिक्षा परिषद, 2022 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अटेंशन एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एमआईसीआईडी/टीसीआईडी में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस वर्ष में संस्था द्वारा प्रेषित सत्र का सत्र और अगिला वर्ष में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अतिरिक्त शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अतिरिक्त प्रवेश परीक्षाएँ या अतिरिक्त प्रवेश परीक्षाएँ प्राप्त करने वाले प्रवेश परीक्षा के विस्तृत परिदे कोई गड़ टकरा किया जाता है तथा प्रवेश परीक्षा के संबंध में मा. सचिव/प्रमुख द्वारा किसी संस्था को कोटेशन संबंधी अटेंशन निरस्त किया जाता है तो संस्था कोटेशन संबंधित संस्था को जतनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सचिवता द्वारा प्रेषित गैर प्रवेश हेतु अतिरिक्त अतिरिक्त प्रवेश करने के पूर्व एमआईसीआईडी/टीसीआईडी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद जापोसप को उपस्था करना होगा। अल्पा उक्त प्रवेश की (अतिरिक्त) के संबंध में प्रवेश परीक्षा के अलग बाकीयें नहीं, अनुमति प्राप्त की की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु सत्र/सत्र पर निर्मित महीनता अनुसंधान नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे प्रवेश की ऐतिहासिक सूची भूमि, प्रवेश परीक्षा, उपस्था, प्रवेश किए जाने वाले सूत्र, उपस्था सूत्र अदि का विवरण उपस्था करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपस्था बाध्यकारी उपस्था करने के साथ वैश्वीय योजना के संबंध में संस्था (अनुसंधान) बाध्यकारी सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था एक सुनिश्चित हो तो कि संस्था में प्रशासिक, तकनीक उपस्थाओं को प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सुविधा के साथ उपस्था करने में अतिरिक्त, भूमि/प्रवेश परीक्षा, उपस्था सुनिश्चित का परिदे संस्था द्वारा किसी अन्य उपस्थाओं के संभालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रवेशों को प्रदान किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्पत्ति समान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को अधिक सुनिश्चित निर्देशों के दौरान परिदे संस्था में भूमि/प्रवेश, प्रवेश/प्रवेश, उपस्था पर अन्य बाध्यकारी एमआईसीआईडी/टीसीआईडी/परिषद के प्रवेश/प्रवेश उपस्था नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्पत्ति समान कर दी जाएगी।
- ✓ सम्पत्ति बाध्यकारी का अनुपालन व किए जाने आधा नहीं का प्रशासन विधि करने की विधि में विवरण/प्रवेश अनुसंधान/प्रवेश बाध्यकारी की बाध्यकारी।


ए.एस.आर. संस्था

सचिव

सूचना: शिक्षा परिषद संख्या/2022/7018-2458

दिनांक: 30-09-2022

प्रशासिक-
प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI RAM INSTITUTE OF PHARMACY


ए.एस.आर. संस्था

सचिव

संस्था

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या- प्राशिष/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

दिनांक
05/08/2021

संस्थागत सूचना

अखिल भारतीय एकपैकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कार्मिकी काउन्सिल, अखिल इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी शैक्षणिक लक्ष्यों की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को उत्तर प्रदेश कार्मिकीय से सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में संचालित द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान शिमे जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिमे गये निर्णय के अनुषंग में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

- सम्बद्धता हेतु शर्तें
- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किसे जाने वाली शासनविरा प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ0प्र समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयुक्त कार्मिकी की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के निम्न सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय/समय पर निर्गत शासनविरा के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनविरा/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई दाव व्यक्त किया जाता है तथा दाव दाव के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधों आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए ज्ञापित प्रदेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग शुरु होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ, भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुक्त, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वस्तुवस्तु उपलब्ध करने के साथ हींगा सेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोधों की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलाय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/वी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार
सोमवार)

सचिव

पु०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक:
09/08/2021

सुनिश्चित

प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI RAM INSTITUTE OF PHARMACY Village-Poisana, Nagina Road, Dhamra, Bijnor (U.P.) 246761


(सुनील कुमार
सोमवार)

सचिव

